

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-17/पार्ट-II/2019/


दिनांक:-

आदेश

अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर के अधीन निम्नांकित नर्स-2 (परीविक्षाधीन)का चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार असाधारण अवकाशस्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम /पिता /पति का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि	अवकाश का कारण
1	पिकी मूलचन्दानी	23.04.17	09.05.17	17	असाधारण अवकाश
2	मंजू मेतवाल	28.09.16	—	01	असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-17/पार्ट-II/2019/243

दिनांक:- 15-2-2019

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर ।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर